—अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0— 33 / 16—17

नरेश राय बनाम् महेन्द्र उरांव, वगै0

2.2.18

—: आदेश :—

वर्त्तमान प्रक्रिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है।

आवेदक नरेश राय, पे0—मदन राय, सा0—सुड़नी, थाना—मेहरमा, जिला— गोड्डा ने मौजा— सुड़नी नं0—16, जमाबंदी नं0—75, प्लॉट नं0—707, लगभग 10 कड़ी चौड़ा तथा 20 कड़ी लम्बा एवं प्लॉट नं0—708 में 10 कड़ी चौड़ा एवं 57 कड़ी लम्बा भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु आवेदन दिया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि बताया गया है कि विवादित भूमि प्लॉट नं0—707 एवं प्लॉट नं0—708 पर आवेदक का घर बना हुआ है। आवेदक के पूर्वज भगवान राय एवं अकलू राय के नाम से विगत खतियान में दर्ज है। भगवान राय के नावल्द मृत्यु के बाद सारी भूमि अकलू राय के हिस्से में हुई। अकलू राय के एक मात्र पुत्र मदन राय हुए तथा उनके एकमात्र पुत्र नरेश राय हुए, जो आवेदक हैं। प्लॉट नं0—710 गैरमजरूआ खाते की भूमि है,जिसपर एक रंगमंच तैयार किया गया है। उक्त रंगमंच तैयार करने के समय विपक्षियों द्वारा गलत मंशा से आवेदक की पैतृक भूमि को अतिक्रमित कर लिया गया है। पूर्व में दाग नं0—710,जो गैरमजरूआ खाते की भूमि है, का अतिक्रमण मंदिर बनाने हेतु किया गया है। अंचल अधिकारी, मेहरमा, ग्राम प्रधान, एवं पंचायत के मुखिया को आवेदन दिया गया था, परन्तु उन्होंने इसकी सुनवाई नहीं की।

रंगमंच निर्माण के समय में आवेदक द्वारा सारा तथ्य विपक्षियों के समक्ष रखा गया था, परन्तु किसी ने भी आवेदन पर कार्रवाई नहीं की एवं जानबूझ कर इसपर अतिक्रमण जारी रखा। अंत में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता ने उक्त विवादित भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी 02, 03 एवं 04 की ओर से सहायक सरकारी अधिवक्ता तथा विपक्षी सं0—01 की ओर की विज्ञ अधिवक्ता ने बहस किया। विज्ञ अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें रंगमंच निर्माण के समय रैयती भूमि के अतिक्रमण की जानकारी नहीं थी एवं ग्रामीणों के निर्णय पर उक्त कार्य किया गया, जो लोकहित में है। साथ ही मंदिर का निर्माण भी ग्राम सभा के निर्णय के आधार पर हुआ है। विपक्षी की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

अंत में विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता ने आवेदक के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवेदक ... ।

कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि रैयती किस्म की है तथा उस पर निर्माण कार्य करने से पूर्व प्रथम पक्ष की सहमति प्राप्त करनी चाहिए थी। ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन मुखिया के द्वारा उक्त विवादित भूमि पर रंगमंच निर्माण किया जाना अपने अधिकार क्षेत्रों का उल्लंघन है। मंदिर निर्माण कार्य हेतु भी सरकारी भूमि का अतिक्रमण करना विभिन्न सरकारी परिपत्रों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रदत्त निदेशों के प्रतिकूल प्रतीत होता है। रंगमंच निर्माण कार्य एवं मंदिर निर्माण कार्य के संबंध में अंचल अधिकारी, मेहरमा को निदेश दिया जाता है कि एक विस्तृत जांच प्रतिवेदन संबंधित व्यक्तियों के ब्यान दर्ज करते हुए न्यायालय को उपलब्ध करायेंगे, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सकें।

अभिलेख दिनांक 09.03.18 को रखें।

लेखापित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

9.3.18 उभय पक्ष अनु०।
दिनांक 6.4.18 को रखें
अनु०प०

6.4.18 उभय पक्ष अनु०।
दिनांक 4.5.18 को रखें
अनु०प०

4.5.18 उभय पक्ष - अनु०।
दिनांक 22.5.18 को रखें
अनु०प०